न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी–		रामरतन सौंकरिया आर.ए.एस.
मिसल नम्बर 77 / 2025 प्रा.पत्र / 2025	तारीख दायरा 04.08.2025	तारीख निर्णय 18.09.2025

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण टोंक राज0।

............प्रार्थी

बनाम

1–श्री लोकेश कुमार शर्मा पुत्र श्री हरिराम शर्मा निवासी बाबरों को चौक पुरानी टोंक, टोंक जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स एकता बाजार बजाज नगर सवाई माधोपुर रोड टोंक जिला टोंक। पिनकोड–304001 मोबाईल नं. 9549467189

2–मैसर्स एकता बाजार बजाज नगर सवाई माधोपुर रोड टोंक जिला टोंक। पिनकोड–304001

........अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार।
2–अप्रार्थी श्री लोकेश कुमार शर्मा स्वयं उप0।

:–निर्णय–: दिनांक 18/9/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 07.03.2025 को समय 01:25 पी.एम. पर मैसर्स एकता बाजार बजाज नगर सवाई माधोपुर रोड टोंक जिला टोंक पर पहुंचा। वहॉ पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से श्री लोकेश कुमार शर्मा पुत्र श्री हरिराम शर्मा अपने प्रतिष्ठान मैसर्स एकता बाजार बजाज नगर सवाई माधोपुर रोड टोंक जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री लोकेश कुमार शर्मा पुत्र श्री हरिराम शर्मा को अपना परिचय दिया एव परिचय लिया तथा पूछने पर श्री लोकेश कुमार शर्मा पुत्र श्री हरिराम शर्मा ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक होना बताया तथा मौके पर खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान की रैक में लगभग 4–5 मूल पैक पैकड अवस्था में प्रत्येक नग 1–1 लीटर पैक **घी (सारस ब्राण्ड)** रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शका होने पर श्री लोकेश कुमार शर्मा पुत्र श्री हरिराम शर्मा को फार्म न. 5 ए मे वास्ते नमूना क्रय

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.डी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री लोकेश कुमार शर्मा पुत्र श्री हरिराम शर्मा व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये व हस्ताक्षर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि प्रतिष्ठान मे रखे 4–5 मूल पैक पैक्ड अवस्था में प्रत्येक नग 1–1 लीटर पैक **घी (सरस ब्राण्ड)** जिसके बैच नम्बर एनएम–425 एवं पैकिंग की दिनांक 27 नवम्बर 2024 थी, वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, 1 लीटर पैक का 1 मूल पैक खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **घी (सरस ब्राण्ड)** 1 लीटर पैक का 1 मूल पैक को खोलकर 4 साफ व सूखी शिशियों में बराबर–बराबर प्रत्येक शीशी में 250–250 एम.एल. भरकर नियमानुसार चार भाग तैयार कर अच्छी तरह एयरटाईट बन्द कर, नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–4284 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–4284 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये।चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉं तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपडी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री लोकेश कुमार शर्मा पुत्र श्री हरिराम शर्माएफ.बी.ओ. मैसर्स एकता बाजार बजाज नगर सवाई माधोपुर रोड टोंक जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी कोई खरीद बिल उपलब्ध नहीं करवाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए / 2025 / 387 दिनांक 09.04.2025 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट स.एलएस / 1037 / एक्ट / 2025 / 1009 दिनांक 26.03.2025 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

गया घी (सरस ब्राण्ड) खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zz)(iv), 3(1)(zz)(v) व 3(1)(zz)(xi) के अनुसार **असुरक्षित (Unsafe)** स्तर का होना पाया गया।

उक्त जांच रिपोर्ट के विरूद्ध धारा 46(4) के तहत समयावधि में श्री लोकेश कुमार शर्मा पुत्र श्री हरिराम शर्मा ने पुनः नमूना जांच रिपोर्ट हेतु अपील दायर की। इस बाबत उक्त नमूना निदेशक रैफरल लैब मैसूर में जांच हेतु रजिस्टर्ड पार्सल के द्वारा भिजवाया गया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2025/991 दिनांक 23.07.2025 के द्वारा ज्ञात हुआ कि निदेशक रैफरल लैब मैसूर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सर्टिफिकेट न एफटी/एक्यूसीएल/एफएसएसए(610एफ)/2025 दिनांक 16.07.2025 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **घी (सरस ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zx) के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया जो कि अन्तिम रूप से मान्य है। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी श्री लोकेश कुमार शर्मा स्वयं उपस्थित हुए। अप्रार्थी ने बहस की तथा बहस मे निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। उक्त खाद्य पदार्थ केवल कुछ मानको को पूरा नहीं करता है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **घी (सरस ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी मे आता है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **घी (सरस ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51(सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी मे आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 50,000/- (अक्षरे पचास हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात नियमानुसार नष्ट कर दिया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18/9/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

(रामरतन सौंकरिया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक